रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 2002/माघ 9, 1923
No. 10] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 2002/MAGHA 9, 1923

भारतीय रिज़र्व बैंक

(बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

सूचना

मुम्बई, 25 जनवरी, 2002

डी.बी.ओ.डी सं.पी.एस.बी.एस./16-01-058/2001-2002.—एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के आवेदन पर भारत सरकार ने 22 जनवरी, 2002 को कारोबार की समाप्ति से 21 अप्रैल, 2002 तक तथा इस तारीख को शामिल करते हुए तक की अवधि के लिए उक्त धारा की उपधारा (2) के अंतर्गत बनारस स्टेट बैंक लि. के संबंध में एक अधिस्थगन-आदेश जारी किया है। भारत सरकार ने उक्त बैंकिंग कम्पनी को उक्त आदेश के खंड (3) के अंतर्गत कतिपय देयताओं और बाध्यताओं के भुगतान के लिए प्राधिकृत करते हुए निदेश भी जारी किए हैं। बनारस स्टेट बैंक लि. के बैंक ऑफ बड़ौदा में समामेलन को कार्यन्वित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने, उक्त अधिनियम की उक्त धारा की उप धारा (4) द्वारा उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके एक योजना तैयार की है तथा उक्त योजना का प्रारूप उक्त प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को भेज दिया है ताकि वे उक्त धारा की उपधारा (6) के अंतर्गत यदि कोई सुझाव और आपत्तियां हों तो उक्त योजना के प्रारूप के प्राप्त होने के दो सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत कर सकें। उक्त योजना के प्रारूप की प्रतियां इन दोनों बैंकिंग कम्पनियों से उनके किसी सदस्य, जमाकर्ता या ऋणदाता द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। बनारस स्टेट बैंक लि. या बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी सदस्य, जमाकर्ता या ऋणदाता को उक्त योजना के प्रारूप के संबंध में कोई सुझाव या आपत्ति प्रस्तुत करनी हो तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के अन्दर अपने सुझाव या आपत्तियां मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, विश्व व्यापार केन्द्र, केन्द्र 1, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400005 को भेज सकता है ताकि उस पर उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (6) के खंड (ख) के अंतर्गत विचार किया जा सके।

सी. आर. मुरलीधरन, मुख्य महा प्रबंधक

[विज्ञापन III/IV/38/2001/असा.]

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Banking Operations and Development)

(CENTRAL OFFICE)

NOTICE

Mumbai, the 25th January, 2002

DBOD No. PSBS/16-01-058/2001-2002.—It is hereby notified that on the application of the Reserve Bank of India under Sub-section (1) of Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949, the Government of India has made an order of moratorium in respect of the Benares State Bank Ltd. under Sub-section (2) of the said Section for the period from the close of business on 22nd January, 2002 upto and inclusive of 21st April, 2002. The Government of India has also issued directions to the said banking company under Clause (3) thereof authorising payment of certain liabilities and obligations. In order to effect an amalgamation of the Benares State Bank Ltd. with Bank of Baroda, the Reserve Bank of India, in exercise of the powers conferred on it by Sub-section (4) of the said Section, has prepared a scheme and forwarded it, in draft, to each of the aforesaid banking companies for suggestions and objections, if any, in terms of clause (a) of Sub-section (6) of the said Section, within a period of two weeks from the receipt of the draft scheme. Copies of the draft scheme can be obtained from the aforesaid two banking companies by any of their members, depositors or creditors. If any member, depositor or creditor of the Benares State Bank Ltd. or Bank of Baroda has any suggestions or objections with regard to the draft scheme, he may, within a period of two weeks from the date of the publication of this notice, send his suggestions or objections to the Chief General Manager, Department of Banking Operations and Development, Reserve Bank of India, Central Office, World Trade Centre, Centre-1, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai 400005 for consideration under clause (b) of Sub-section (6) of Section 45 of the said Act.

C. R. MURALIDHARAN, Chief General Manager

[ADVT III/IV/38/2001/Extry.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.